परियोजना का औचित्य

<u>परियोजना का नाम</u> :– **जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।**

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढुँगी के अन्तर्गत कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव में गोलज्यू मन्दिर तक सी0 सी0 मार्ग का निर्माण कार्य की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1870 (1)/ III (2)/16–69 (प्रा0आ0)/2015 दिनांक 07.06.2016 द्वारा 0.500 किमी0 लम्बाई हेतु ₹ 0.50 लाख की प्राप्त हुई है। प्रस्तावित कार्य की वन पंचायत भूमि में वास्तविक लम्बाई 500 मी0 है तथा सिविल सोयम भूमि 0.00 मी0 है। यह मार्ग कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव से गोलज्यू मन्दिर को आपस में जोड़ने वाला मार्ग है। उक्त कार्य का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि कम से कम भूमि प्रभावित हो।

उक्त कार्य में वन पंचायत भूमि पड़ती है। मार्ग निर्माण हेतु 500 मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौडाई में वन पंचायत भूमि एवं 3600 मी0 लम्बाई एवं 9.00 मी0 चौडाई में सिविल सोयम भूमि में मार्ग का संरेखण किया गया है। मार्ग का संरेखण इस प्रकार तय किया गया है कि कम से कम चौडाई में वृक्ष प्रभाावित हो सके। समरेखन नं0 2 को अधिक वृक्ष प्रभावित होने के कारण निरस्त किया गया है तथा समरेखन नं0 1 में कम से कम वृक्ष प्रभावित होने के कारण तथा भू–गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त होने के कारण उपयुक्त माना गया है तथा ग्राम कोटाबाग क्षेत्र (गजारी) पाण्डेगॉव से गोलज्यू मन्दिर के निवासियों के आवागमन की सुविधा प्रदान होगी तथा यह एक प्रस्तावित मार्ग है। मार्ग के समरेखन में कोई मन्दिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि धार्मिक स्थान नहीं पड़ते है। मार्ग का भू–गर्भीय निरीक्षण भूवैज्ञानिक द्वारा कराया गया है। (आख्या पृष्ठ 4 पर संलग्न है)। भू–वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित समरेखन को उपयुक्त बताया गया है तथा इस संरेखण में विभिन्न प्रजाति के कुल वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिनकी गणना 7.00 मी0 चौडाई में की गयी है। ~~प्रभावित वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।~~

अतः प्रश्नगत मार्ग जिसमें वन पंचायत भूमि 0.360 है0, का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण करने की कृपा करे।

(इं0 शखावत)
सहायक अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

(इं0 महेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि0 ख0 लो0नि0वि0
रामनगर (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी
रामनगर वन प्रभाग रामनगर